	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 22, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 13, 2021 *Agrahayana 22, Monday , Saka 1943- December 13, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 02, 2019

संख्या प.2(11)वन/2019 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम,1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियो के अधिकार की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नही किये गये है,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वाक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूकि इन कार्या के सम्पादन में इतना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचाने की आशंका रहेगी।

इसलिए अब, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोवस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हे लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, तथा अभिलेख यथा साध्य उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रवाहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र

में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

1 अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

2 अनुसूची (आरक्षित वन)

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ दीप नारायण पाण्डे,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.सं	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा न0.	क्षैत्रफल	भूमि की किस्म
1	बड़ली	मण्डोर	जोधपुर	उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व	खसरा न0 67 ग्राम बडली खसरा न0 62 ग्राम बड़ली मौजा केरू का खसरा न0 812 खसरा न. 67 ग्राम बडली	बड़ली	67/3	29.06	गै.मु. भाखर
							योग	29.06	बीघा-बिस्वा
							योग	4.74	हैक्टर

(हनुमाना राम)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(जय किशन पुरोहित)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर मु॰- जोधपुर

(बलराम चन्द)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर,मु.जोधपुर,रसाला रोड़,
पावटा

वनखण्ड-बड़ली

द्वितीय अनुसूची

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियो के वानस्पतिक नामो की सूची

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Acacia Senegal	कुमठा
2	Prosopis cineraria	खेजड़ी
3	Prosopisjuliflora	विलायती बबूल
4	Tecomellaundulata	रोंहीडा
5	Acacia tortlis	टोटलिस
6	Capparis decidua	कैर
7	Leptadeniapyrotechnica	खीप

(हनुमाना राम)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(जय किशन पुरोहित)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर मु॰- जोधपुर

(बलराम चन्द)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
मण्डोर,मु.जोधपुर,रसाला रोड़,
पावटा

प्रमाण - पत्र

वन खण्ड -बड़ली

रेंज -मण्डोर

वनमण्डल -जोधपुर

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि राज्य सरकार से वनभूमि प्रत्यावर्तन से प्राप्त हुई है भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में गैर मुमकिन भाखर, वन विभाग के नाम से दर्ज है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।
4. प्रस्तावित भूमि पर कुछ मरूस्थलीय झाड़िया है तथा वृक्षो का घनत्व नगण्य है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से प्रथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा।
6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
7. आवंटित भूमि का मौके पर सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान एवं तरमीम होने के पश्चात प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(हनुमाना राम)	(जय किशन पुरोहित)	(बलराम चन्द)
उप वन संरक्षक	क्षैत्रीय वन अधिकारी	क्षैत्रीय वन अधिकारी
जोधपुर	मण्डोर मु॰- जोधपुर	मण्डोर,मु.जोधपुर,रसाला रोड़, पावटा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।